न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

कैम्प – लूणवां

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण
खेताराम पुत्र धन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा		1. लाडादेवी पत्नी धन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 2. कोयली पुत्री घानाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 3. चतरू पुत्री धन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 4. लादीदेवी पुत्री धन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 5. प्रभाती पुत्री धन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 6. छोटीदेवी पुत्री धन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 7. सुन्दर पत्नी मुन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 8. कानाराम गोद पुत्र मुन्नाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 9. छोटूराम पुत्र गिरधारी कुम्हार सा. गौरवपुरा 10. किसनाराम पुत्र गिरधारी कुम्हार सा. गौरवपुरा 11. प्रभुदयाल पुत्र गिरधारी कुम्हार सा. गौरवपुरा 12. नोलाराम पुत्र मानाराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 13. कालू पुत्र श्योराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 14. लिछमण पुत्र श्योराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 15. सुवा पुत्र श्योराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 16. सोनी पत्नी श्योराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 17. धन्नाराम पुत्र बालूराम कुम्हार सा. गौरवपुरा 18. नानूराम पुत्र बालू कुम्हार सा. गौरवपुरा 19. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक लुणवां 20. तहसीलदार नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री बजरंगलाल वकील वादी

मुकदमां नम्बर :– 92/2012 निर्णय दिनांक :– 25/5/17

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 497, 514, 515, 516 कुल रकबा5.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 560, 561, 562 कुल रकबा 3.86 हैक्टयर तथा 701, 1253/713, 1256/675 कुल रकबा 3.33 एवं ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 71, 87 कुल रकबा 3.32 हैक्टयर स्थित हैं वादी व प्रतिवादी 1 से 17 एक ही परिवार व खानदान के सदस्य हैं पूर्व में वादी के पर दादा रामबक्ष जी की खातेदारी में रही हैं तथा रामबगस जी के दो जायन्दा पुत्र भैरूराम व घीसाराम हुऐ

Dw 25/5/17

तथा रामबक्ष जी का स्वर्गवा हो जाने के बाद ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 497, 514, 515, 516 कुल रकबा 5.19 हैक्टयर में 1/4 हिस्से की तथा खसरा नम्बर 560, 561, 562 कुल रकबा 3.86 हैक्टयर में 1/4 हिस्से की 701, 1253/713, 1256/675 कुल रकबा 3.33 हैक्टसर सम्पूर्ण व ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 71, 87 कुल रकबा 3.32 हैक्टयर सम्पूर्ण बहैसियत उत्तराधिकारी वादी के दादा भैरूराम के हक हिस्से में आई तथा शेष भूमि घीसाराम के हक हिस्से में आई तथा भैरूबक्ष जी का स्वर्गवास होने पर उक्त भूमि एक मात्र वारिस वादी के पिता धन्नाराम के हक हिस्से व उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। वादी के पिता धन्नारा के दो पुत्र वादी व प्रतिवादी 8 कानाराम हुऐ एवं पांच पुत्रीयां हुई जिनमें से एक कोयली देवी का स्वर्गवास वादी के पिता के जीवन काल में ही हो गया था शेष प्रतिवादी 2 से 5 है। प्रतिवादी 7 मुन्नाराम की पत्नी हैं मुन्नाराम ना औलद ही फौत हो गया हैं जिसके कोई संन्तान नहीं होने पर प्रतिवादी 7 व प्रतिवादी 7 के पिता मुन्नाराम ने प्रतिवादी 8 कानाराम को उसकी बाल्यवस्था में ही आज से करीब 22 वर्ष पूर्व गोद ले लिया था, तब से प्रतिवादी 8 मुन्नाराम व प्रतिवादी 7 सुन्दरी के पास ही गोद पुत्र की हैसियत से रह रहा हैं प्रतिवादी 7 ने ही प्रतिवादी 8 का पालन पोषण किया हैं जिससे प्रतिवादी 8 का अपने प्राकृतिक पिता धन्नाराम की सम्पति में सभी हक व अधिकार समाप्त हो चुके हैं। धन्नाराम का स्वर्गवास दिनांक 22.02.2004 को हो चुका हैं स्व. धन्नाराम के हक हिस्से व खातेदारी भूमि में वादी व प्रतिवादी 1 से 5 काबिज काश्तकार हैं उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी 1 से 6 की पैत्रक भूमि हैं जिसमें प्रतिवादी 8 का गोद चले जाने से कोई हक व अधिकार नहीं हैं जरिये विरासत वादी व प्रतिवादी 1 से 6 खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी 8 को गोद चले जाने की जानकारी होने के बावजूद प्रतिवादी 8 ने धन्नाराम का पुत्र होने से उसके उत्तराधिकार में अपना नाम दर्ज करवाने की धमकीया दे रहा हैं। जिससे यह वाद पेश कर ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 497, 514, 515, 516 कुल रकबा 5.19 हैक्टयर भूमि में 1/4 हिस्से व खसरा नम्बर 560, 561 562 कुल रकबा 3.86 हैक्टयर में 1/4 हिस्से व खसरा नम्बर 701, 1253/713, 1256/675 कुल रकबा 3.33 हैक्टयर सम्पूर्ण व ग्राम शेरपुरा के खसरा न्म्बर 71, 87 कुल रकबा 3.32 हैक्टयर सम्पूर्ण में धन्नाराम पुत्र भैरू के स्थान पर वादी व प्रतिवादी 1 से 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन के सम्मन 30.10.2013 को तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी में वादी स्वंय व दो गवाहो के शपथ पत्र पेश किऐ हैं वर्तमान में " न्याय आपके द्वार" राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत उक्त पत्रालवी शिविर में नियत की गई, जिसमें वादी व वकील वादी स्वंय उपस्थित हुऐ हैं पत्रावली ग्राम के मौजीज व्यक्यिों के समक्ष रखी गई तथा वाद में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी की गई। वकील वादी को सुना गया।

25/5/17
उपखण्ड अधिकारी
नावां

वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के अनुसार ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 497, 514, 515, 516 कुल रकबा 5.19 हैक्टयर भूमि धन्ना पुत्र भैरू 1/4 हिस्सा, सुन्दर पत्नी मुन्नाराम 1/4 हिस्सा छोटूराम, किशनाराम, प्रभूदयाल पि. गिरधारी , नोला पुत्र माना , रूकमादेवी बेवा माना, कानू लिछमण सुवा पि. श्योराम , सोपी बेवा श्योराम कुम्हार 1/4 हिस्सा धनाराम पुत्र बालू 1/8 हिस्सा नानूडा पुत्र बालू 1/8 हिस्सा खातेदारीमें दर्ज रिकार्ड हैं ग्राम गोरवपुरा के ही खसरा नम्बर 701, 1253/713, 1256/675 कुल रकबा 3.33 हैक्टयर भूमि धन्नाराम पुत्र भैरू कुम्हार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार खसरा नम्बर 560, 561, 562 कुल रकबा 3.86 हैक्टयर भूमि धन्नाराम पुत्र भैरू 1/4 हिस्सा छोटूराम, किसनाराम, प्रभूदयाल पिता गिरधारी नोताराम पुत्र माना, रूकमादेवी बेवा माना तथा कालू लिछमण सुवा पि. श्योकरण कुम्हार 1/2 हिस्सा व धना पुत्र बालू 1/8 हिस्सा नानूडा पुत्र बालू 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं रूकमादेवी बेवा माना के सीन पर नोलाराम पुत्र मानाराम दर्ज रिकार्ड हैं ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 71, 87, कुल रकबा 3.32 हैक्टयर भूमि धन्ना पुत्र भैरू कुम्हार सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह सही हैं कि उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हक हिस्से व खातेदारी की हैं वादी व प्रतिवादी 1 से 6 के पिता व पति धन्नाराम पुत्र भैरू कुम्हार का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा हैं। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताऐ अनुसार धन्नाराम के दो पुत्र खेताराम व कानाराम एवं पांच पुत्रियां कोयली, चतरू, लादी, प्रभाती, व छोटीदेवी एवं पत्नी लाडादेवी वारिसान हैं जिनमें कोयली देवी का स्वर्गवास धन्नाराम के जीवनकाल में ही हो गया था तथा धन्नाराम के भाई मुन्नाराम के कोई जाईन्दा संतान नहीं होने से धन्नाराम के पुत्र कानाराम को उसकी नाबालिग अवस्था में ही गोद ले लिया था जो गोद के बाद से ही मुन्नाराम व उसकी पत्नी सुन्दरीदेवी के पास निवास कर रहा हैं प्रतिवादी 9 कानाराम ने अपने पैतृक पिता के हक हिस्से की भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की हैं न ही उसके गोद जाने के बाद धन्नाराम के हक हिस्से की भूमि में उसका कोई हक व अधिकार शेष रहा हैं प्रतिवादी कानाराम के हक व अधिकार सम्पूर्ण धन्नाराम के भाई मुन्नारा व प्रतिवादी 7 के हक हिस्से में निहित हो गये हैं प्रतिवादी 8 को सामज के मोजीज व्यक्यिों के सामने सामाजिक रिति रिवाज से गोद लिया था तथा गोद की लिखापढ़ी भी गोद के वक्त की हैं जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध हैं तथा प्रस्तुत गवाहो ने भी आज से 20 – 22 वर्ष पूर्व प्रतिवादी 8 कानाराम मुन्नाराम के गोद जाना बताया हैं तथा बचपन से आज तक मुन्नाराम के पास यानि वर्तमान में प्रतिवादी 7 सुन्दरीदेवी पत्नी मुन्नाराम के साथ ही निवास करना बताया हैं प्रतिवादी 8 का सम्मन स्वंय से तामील होकर पूर्व में न्यायालय में प्राप्त हुआ हैं जिसके बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहा हैं किसी प्रकार का उज्र या जवाब वाद में पेश नहीं किया हैं। बही भाट् के रिकार्ड में भी कानाराम को मुन्नाराम का गोद पुत्र होना दर्ज कर रखा हैं कानाराम व मुन्नराम की पत्नी प्रतिवादी 7

25/5/17
उपखण्ड अधिकारी

सुन्दरी देवी के बीच कुछ मनमुटाव हो जाने पर कानाराम को अपना गोद पुत्र मानते हुऐ अपने सम्पूर्ण हक हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बैचान कानाराम की पत्नी के नाम कर दिया हैं जो रिकार्डेड दस्तावेज हैं जिससे भी स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी 8 को वाद बाबत कोई आपत्ति नहीं हैं तथा प्रतिवादी 8 कानाराम स्व. मुन्नाराम का गोद पुत्र हैं उसका अपने पैतृक पिता धन्नाराम के हक हिस्से की भूमि में कोई अधिकार गोद जाने के बाद शेष नहीं रहते है। जिसकी पुष्टि वाद में प्रस्तुत गवाहों एवं रिकार्ड व कैम्प में उपस्थित ग्राम के मौजीज व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी का वाद साबित होता हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम गोरवपुरा के खसरा नम्बर 497, 514, 515, 516 कुल रकबा 5.19 हैक्टयर व 560, 651, 562 कुल रकबा 3.86 हैक्टयर में दर्ज धन्नाराम पुत्र भैरू 1/4 हिस्से का व खसरा नम्बर 701, 1253/713, 1256/675 कुल रकबा 3.33 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं ग्राम शेरपुरा के खसरा नम्बर 71, 87 कुल रकबा 3.32 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि में धन्नाराम पुत्र भैरू के स्थान पर वादी व प्रतिवादी 2 से 5 को बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादी 2 से 5 की खातेदारी में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 25/5/17 को सुनाया गया।

25/5/17

(एस.एम. शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

उपखण्ड अधिकारी
नांवा